भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 459

गुरूवार, 25 जुलाई, 2024/3 श्रावण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

आंध्र प्रदेश के सिंहाचलम में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास

459 श्री वि. विजयसाई रेड्डी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सिंहाचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी वारी देवस्थानम में तीर्थयात्रा सुविधाओं के विकास को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विकास कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय ने देश भर में पूर्व-चिह्नित धार्मिक और विरासत स्थलों में अवसंरचना विकास के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में प्रशाद (तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान) योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के अंतर्गत यह मंत्रालय इन स्थलों में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ने प्रसाद योजना के अंतर्गत 1621.14 करोड़ रु. की लागत से 46 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है और प्रशाद योजना के तहत विकास हेतु 29 स्थलों को चिह्नित किया गया है।

वर्ष 2022-23 में 54.04 करोड़ रु. की लागत से "सिंहाचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी वारी देवस्थानम में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास" परियोजना को स्वीकृति दी गई थी। अब तक इस परियोजना के लिए 13.69 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। परियोजना के स्वीकृति आदेश में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 24 माह का समय निर्दिष्ट किया गया है।

*****